



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2020

पौष 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 13/2020/1459/94-स्टा०नि०-2-2020-700(21)-2020

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

आदेश

प०आ०-454

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, जनपद गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र० में मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (एस०आइ०ई०एल०) द्वारा मेसर्स सैमसंग डिस्पले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख में सम्बन्धित सम्पत्ति पर स्थित नवीन निर्माण के मूल्य पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

स्पष्टीकरण :-

1- नवीन निर्माण का तात्पर्य सम्बन्धित सम्पत्ति पर वर्ष 2019 एवं 2020 में किये गये निर्माण से है, परंतु यह कि जिला का जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण विलेख में दर्शित नवीन निर्माण वर्ष 2019 के पूर्व का नहीं है; तथा

2-उपरोक्त छूट, सम्बन्धित सम्पत्ति पर वर्ष 2019 से पूर्व किये गये निर्माण के मूल्य पर संदेय स्टाम्प शुल्क हेतु उपलब्ध नहीं होगी।

आज्ञा से,  
वीना कुमारी,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/2020/1459/94-S. R.-2-2020-700(21)-2020, dated December 22, 2020:

No. 13/2020/1459/94-S. R.-2-2020-700(21)-2020

*Dated Lucknow, December 22, 2020*

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification, in the *Gazette*, the stamp duty payable on the value of new construction situated on the concerned property in the area of Noida Industrial Development Authority, district Gautambuddh Nagar, U.P., in the transfer deed executed by M/S Samsung India Electronic Limited (S.I.E.L.) in Favour of M/S Samsung Display Noida Private Limited.

Explanation: –

1- New construction means construction made on the concerned property, in the year 2019 and 2020, provided that the District Magistrate of the District sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the new construction shown in the transfer deed is not of before the year 2019; and

2-The remission above shall not be available to the stamp duty payable on the value of the construction made on the concerned property before 2019.

By order,

VEENA KUMARI,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 542 राजपत्र-2020-(1124)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 9 सा० स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन-2020-(1125)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।